

कार्यालय :- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर।


-::कार्यालय आदेश::-

क्रमांक : ९७

दिनांक : 20.07.2020

राजस्थान सरकार, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(9)न्याय/2018 जयपुर, दिनांक 27.09.2019 द्वारा विशिष्ट न्यायालय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, न्यायालय, जैसलमेर का सृजन किया गया है। इसी क्रम में विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, जैसलमेर के अवकाश/अनुपस्थित व अन्य कार्यों से मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि के दौरान इनके न्यायालय का आवश्यक एवं दैनिक कार्य देखने हेतु निम्नानुसार लिंक न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया जाता है:-

क्र.स.	न्यायालय का नाम	लिंक अधिकारी का नाम व पद
01.	विशिष्ट न्यायालय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, न्यायालय, जैसलमेर।	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर। <u>इनके अवकाश पर रहने पर</u> जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर। <u>इनके अवकाश पर रहने पर</u> अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पोकरण।



जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर।

दिनांक: 20.07.2020

क्रमांक : स्था./2020/1835

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रदत्त है।

1. विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, जैसलमेर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, न्यायालय, जैसलमेर।
3. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर/पोकरण।
4. सिस्टम ऑफिसर, न्यायालय हाजा।
5. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, जैसलमेर।
6. कार्यालय प्रति।


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर।